

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी—

मुरारी लाल शर्मा

आर.ए.एस.

मिसल नम्बर

तारीख दायरा

तारीख निर्णय

100 / 2020 / प्रा.पत्र / 2020

28.12.2020

12.11.2021

सत्यनारायण गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

..... प्रार्थी

बनाम

1—श्री विनोद कुमार जैन पुत्र श्री बशीधर जैन निवासी एफ-81-82 दीनदयाल कॉलोनी निवाई जिला टोंक एफ.बी.ओ. मैसर्स बंशीधर विनोद कुमार झिलाय रोड एसबीआई बैंक के पास निवाई जिला टोंक

2— मैसर्स बंशीधर विनोद कुमार झिलाय रोड एसबीआई बैंक के पास निवाई जिला टोंक

..... अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 (2)की उप धारा (ii) एवं दण्डनीय धारा 52 (सहपठित धारा 49)

उपस्थित—

1—प्रार्थी की ओर से श्री मदनलाल गूर्जर, खा0सु0अ0 स्वयं।

2—अप्रार्थीगण उपस्थित

:-निर्णय:-

दिनांक 12.11.2021

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 05.11.2020 को समय 1.30 पी.एम पर वास्ते निरीक्षण मैसर्स बंशीधर विनोद कुमार झिलाय रोड एसबीआई बैंक के पास निवाई जिला टोंक पर पहुंचा। विक्रेता की हैसियत से श्री विनोद कुमार जैन पुत्र श्री बशीधर जैन निवासी एफ-81-82 दीनदयाल कॉलोनी निवाई जिला टोंक एफ.बी.ओ. मैसर्स बंशीधर विनोद कुमार झिलाय रोड एसबीआई बैंक के पास निवाई जिला टोंक खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया तथा उसका परिचय लिया, पूछने पर प्रतिष्ठान का मालिक होना स्वीकार किया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा पत्र होना जाहिर किया।

आवेदक द्वारा निरीक्षण करने पर दुकान मे कच्ची घाणी सरसो तेल (सिंहासन ब्राण्ड) जिसके बैच नम्बर 10 एवं पैकिंग की दिनांक अक्टूबर 2020 अंकित हुआ था, का



1455



अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  
टोंक

निरीक्षण करने पर मिलावट की शंका होने पर, विक्रेता श्री विनोद कुमार जैन को गवाह के सामने फार्म नं. 5ए में वास्ते नमूना क्य करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता विनोद कुमार जैन एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाकर प्रार्थी ने हस्ताक्षर कर तस्दीक किया।

आवेदक द्वारा दुकान के गोदाम में कागज के 7 कार्टून में लगभग 224 मूल पैक बोतल पैकड अवरथा में प्रत्येक बोतल 500-500 एम.एल में कच्ची घाणी सरसो तेल (सिंहासन ब्राण्ड) रखे हुये में से 500-500 एम.एल पैक के 4 मूल पैक वास्ते नमूना जांच खरीदा जिसकी बाजार भाव के समान कीमत विक्रेता, श्री विनोद कुमार जैन को रू0 218/- अक्षरे दो सौ अठारह रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये।

आवेदक द्वारा खरीदशुदा कच्ची घाणी सरसो तेल (सिंहासन ब्राण्ड) 4 पैकेट प्रत्येक 500-500 एम.एल पैक को ज्यो का त्यो एक-एक बोतल के बराबर-बराबर चार भाग तैयार कर नियमानुसार चार नमूना भाग तैयार कर एवं चारो नमूना भागो के लिये चार लेबल नियमानुसार तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से चिपकाया और प्रत्येक लेबलो पर डी.ओ.कोड एवं क्रमांक I-2671 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं के हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता के तथा गवाह के हस्ताक्षर करवाये गये।

चारो नमूना भागो को अलग-अलग खांकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी. ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. I-2671 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई से गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता, विनोद कुमार जैन के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे। चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया व मोका फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2020/4088 दिनांक 26.11.2020 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल0एस0/1845/एक्ट/2020/1808 दिनांक 18.11.2020 अनुसार विनोद कुमार जैन से वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया कच्ची घाणी सरसो तेल (सिंहासन ब्राण्ड) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 3(1) (zf) (c) (i) के अनुसार मिथ्याछाप (Mis-branded) स्तर का होना पाया गया।




अतः प्रकरण में अप्रार्थीगण द्वारा मिथ्याछाप (Mis-branded) स्तर का कच्ची घाणी सरसो तेल (सिंहासन ब्राण्ड) का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52(सहपठित धारा 49) में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी द्वारा किसी प्रकार का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया तथा अपना जुर्म स्वीकार किया। प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस कच्ची घाणी सरसो तेल (सिंहासन ब्राण्ड) का विक्रय कर रहा था वह जांच में मिथ्याछाप (Mis-branded) स्तर का होना पाया गया है इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया कच्ची घाणी सरसो तेल (सिंहासन ब्राण्ड) नमूना जांच में मिथ्याछाप (Mis-branded) स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरुद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 (सहपठित धारा 49) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरुद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी श्री विनोद कुमार जैन पुत्र श्री बशीधर जैन निवासी एफ-81-82 दीनदयाल कॉलोनी निवाड़ी जिला टोंक एफ.बी.ओ. मैसर्स बंशीधर विनोद कुमार झिलाय रोड एसबीआई बैंक के पास निवाड़ी जिला टोंक पर शास्ति 15,000 (अक्षरे पन्द्रह हजार रू०) आरोपित की जाती है अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 12.11.2021 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 12.11.2021 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।



12-11-2021

(मुरारी लाल शर्मा)

न्याय निर्णय अधिकारी एवं

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट

टोंक-राज०